कार्यकारी सार

उत्पाद शुल्कों के प्रपाती प्रभाव से बचने की दृष्टि से, मॉडवेट क्रेडिट योजना 1986 में शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 2000 से यह योजना सेनवेट क्रेडिट योजना द्वारा बदल दी गई थी। वर्तमान सेनवेट क्रेडिट योजना, जो सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के अन्तर्गत 10 सितम्बर 2004 से लागू है, में केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा सेवा कर शामिल हैं। हमने केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम, 1944, वित्त अधिनियम, 1994, केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियमावली, सेवा कर नियमावली तथा उनसे संबंधित अनुदेशों के प्रावधानों की पर्याप्तता और योजना का अनुपालन न करने की श्रेणी के मूल्यांकन हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा की।

हमने नियमों तथा विनियमों में कई कमियां देखी जिनका राजस्व प्रभाव लगभग ₹ 190.61 करोड़ था। हमने गलत ढंग से संचित ₹ 2143.18 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट और गलत ढंग से प्रयुक्त ₹ 257.31 करोड़ का अप्रयुक्त क्रेडिट देखा। विभाग ने ₹ 163.01 करोड़ के कर प्रभाव की लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली थी (दिसम्बर 2010 तक) और ₹ 33.77 करोड़ की वसूली सूचित की। हमने नियमों और प्रावधानों में त्रुटियों में सुधार के लिए आठ सिफारिशें की हैं।

कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों का सार नीचे दिया गया है:-

- हमने देखा कि ईआर 5 और ईआर 6 विवरणियां प्रस्तुत न करने के लिए कोई शास्तिक प्रावधान नहीं हैं और यह सिफारिश की कि ये प्रावधान किए जाने चाहिएं।

(पैराग्राफ 2.1)

- हमने सिफारिश की कि सरकार को बट्टे खाते में डाली गई आऊट सेवाओं के लिए प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट की वापसी हेतु सेनवेट क्रेडिट नियमावली में समुचित प्रावधान करने चाहिएं।

(पैराग्राफ 2.2)

- हमने सिफारिश की कि शुल्क योग्य एवं गैर-उत्पादशुल्क योग्य दोनों प्रकार के माल के निर्माण के लिए प्रयुक्त संयुक्त इनपुट्स पर लिए गए क्रेडिट के समुचित लेखाकरण और उलटाव को सुनिश्चित करने के लिए सेवा कर नियमावली में समुचित प्रावधान शामिल किए जाएं।

(पैराग्राफ 2.3)

- हमने देखा कि नियमावली में उस माल पर, जहां मूल्य पूर्णतः बट्टे खाते डाल दिया गया था क्रेडिट की वसूली/वापसी का प्रावधान था। और विनिर्माता पुस्तकों में बहुत थोड़ा सा मूल्य रख कर समस्त क्रेडिट को अपने पास रख रहे थे। हमने सिफारिश की कि सरकार को आंशिक बट्टे के मामले में "पूर्णतः बट्टे खाते डालने" की शर्त को क्रेडिट के आनुपातिक वापसी से बदलने पर विचार करना चाहिए।

(पैराग्राफ 2.5)

- हमने ऐसे मामले देखे जहां निर्धारितियों ने नियमावलियों में विशेष रूप से अथवा अधिसूचनाओं के माध्यम से अननुमत किए गए इनपुट्स, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल पर ₹ 530.15 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट लिया था।

(पैराग्राफ 2.7 से 2.14)

- हमने ऐसे मामले देखे जहां ₹ 1356.30 करोड़ के क्रेडिट की वापसी नहीं की गयी थी जो कि नियमों के अनुसार किया जाना अपेक्षित था और इसके कारण निर्धारितियों के पास क्रेडिट का संचयन हुआ।

(पैराग्राफ 2.15 से 2.25)

- हमने निर्धारित प्रक्रियाओं तथा अभिलेखों के रखरखाव के अननुपालन, अनुचित दस्तावेज़ों पर क्रेडिट लेने जैसे कई मामले देखे थे, जिनका कुल राजस्व प्रभाव ₹ 256.73 करोड़ था।

(पैराग्राफ 2.26 से 2.31)

- हमने ऐसे मामले देखे जहां निर्धारितियों ने नियमों का उल्लंघन जैसे अप्रयुक्त क्रेडिट का अन्तरण, इनपुट सेवा पर कर के भुगतान, आदि करते हुए सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किया जिनके परिणामस्वरूप ₹ 257.31 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(अध्याय 3)